कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जोन–6
जलकल विभाग,नगर निगम, कानपुर

पत्रांक:– जलकल/ 35 /अ0अ06/एन0ओ0सी0/16–17 दिनांक:– 20/4/17

अनापत्ति–प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित भूखण्ड **आराजी संख्या–862(एम), 864(एम), 880, 881, 882, 883 बगदौदी कछार, परगही कछार कानपुर** के विरूद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य हेतु जलकल विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

1. वर्तमान में उक्त भूखण्ड जलकल विभाग की जलापूर्ति पाइप लाइन एवं सीवर लाइन की परिधि से बाहर है।
2. वर्तमान में उक्त भूखण्ड जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा बिछाई गयी पेयजल पाइप लाइन/सीवर लाइन की परिधि से भी बाहर है। भविष्य में पेयजल पाइप लाइन/सीवर लाइन के चार्ज होने के उपरान्त तत्समय लागू पेयजल/सीवर विकास शुल्क एवं न्यूनतम सीवर प्रभार देय होगा तथा पेयजल पाइप लाइन/सीवर लाइन संयोजन विभाग के मान्यता प्राप्त प्लम्बर के माध्यम से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर लिया जा सकेगा जिसका समस्त भुगतान पृथक से करना होगा।
3. निर्माण कार्य के लिए पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
4. निर्माण कार्य के दरम्यान निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी भरपायी निर्माणकर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
जोन–6

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. सचिव, कानपुर विकास प्राधिकारण, कानपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण (भवन निर्माण), कानपुर को पत्रांक संख्या–डी/691/भवन/16–17 दिनांक–06.04.17 के क्रम में।
4. वित्त अधिकारी महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
5. श्री धंनजय तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी, डायरेक्टर रतन होम्स प्रा0लि0, 113/70 स्वरूप नगर कानपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता जोन–6, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
7. गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता
जोन–6